न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 133/2020 **दायर तारीख :– 01-10-2020**

1. लादूराम सैनी पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी जाति माली निवासी पूरावाला तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0। **— प्रार्थी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर (राज0)। **— अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम बाबत नाम दुरूस्ती

उपस्थित : श्री गोपाल टांक , अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :–04.03.2021

1. संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य हैं कि वाकै ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 220 के हाल खसरा नंबर 241/0.39, 245/0.10, 248/0.22, 254/0.10, 256/0.22, 259/0.13, 296/0.12 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली तथा हिस्सा 1/2 सुवा पुत्र भगवान सहाय माली के नाम, खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 596/0.21 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली व हिस्सा 1/2 मीरा देवी पत्नि पूरण मल माली के नाम, खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 240/0.08, 251/0.01, 252/0.21 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर में गिरधारी पुत्र भगवान सहाय का हिस्सा 1/6 व अन्य खातेदारों के नाम उनके हिस्से अनुसार नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यह है कि इसी प्रकार वाकै ग्राम मैड के खाता संख्या 147 के खसरा नंबर 3076/0.10, 3080/0.18, 3081/0.20 हैक्टेयर भूमि में नामान्तकरण संख्या 2258 निर्णय दिनांक 29.05.2015 दुरूस्ती आदेश गिरधारी पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर लादू पुत्र भगवान सहाय स्वीकार होने से पूर्व उक्त आराजी में भी प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र भगवानसहाय ही अंकित था। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आदि में वास्तविक नाम लादूराम पुत्र भगवान सहाय है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

प्रार्थी का नाम काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 220 के हाल खसरा नंबर 241/0.39, 245/0.10, 248/0.22, 254/0.10, 256/0.22, 259/0.13, 296/0.12 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली, खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 596/0.21 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली एवं खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 240/0.08, 251/0.01, 252/0.21 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर लादूराम पुत्र भगवान सहाय सैनी दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलवी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 220 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 146 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम पूरावाला खाता संख्या 42 संवत् 2074–2077, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम मैड खाता संख्या 147 संवत् 2070–2073, नकल जमाबन्दी वाके ग्राम मैड खाता संख्या 170 संवत् 2074–2077, फोटो प्रति आधार कार्ड लादूराम सैनी, फोटो प्रति राशन कार्ड लादूराम सैनी, फोटो प्रति ग्राम पंचायत पूरावाला प्रमाण पत्र, पीठासीन अधिकारी लोक अदालत कैम्प जोधूला निर्णय दिनांक 29.05.2015 आदि पेश किये गये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं वहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। वाके ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 220 के हाल खसरा नंबर 241/0.39, 245/0.10, 248/0.22, 254/0.10, 256/0.22, 259/0.13, 396/0.12 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.28 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली तथा हिस्सा 1/2 सुवा पुत्र भगवान सहाय माली के नाम, खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 596/0.21 हैक्टेयर में हिस्सा 1/2 गिरधारी पुत्र भगवान सहाय माली व हिस्सा 1/2 मीरा देवी पत्नि पूरण मल माली के नाम, खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 240/0.08, 251/0.01, 252/0.21 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.30 हैक्टेयर में गिरधारी पुत्र भगवान सहाय का हिस्सा 1/6 व अन्य खातेदारों के नाम उनके हिस्से अनुसार नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

है। यह है कि प्रार्थी का नाम लादूराम पुत्र भगवान सहाय का नाम गलत इन्द्राज करते हुए गिरधारी पुत्र भगवान सहाय अंकित कर दिया, जो की लिपिकीय भूल है, जो कि दुरुस्त करने योग्य है। यह है कि प्रार्थी का सही नाम लादूराम पुत्र भगवानसहाय ही है। अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सहवन से गिरधारी पुत्र भगवान सहाय दर्ज है, जो गलत दर्ज है,,यह भी कि प्रार्थी लादूराम पुत्र भगवानसहाय के समस्त सरकारी/गैरसरकारी कागजात, फोटोप्रति परिवार राशन कार्ड 007922300393, आधार कार्ड 813313768816 आदि में वास्तविक नाम लादूराम पुत्र भगवानसहाय है। तथा राजस्व लोक अदालत कैम्प जोधूला में पीठासीन अधिकारी के द्वारा भी प्रार्थी गिरधारी पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर लादू पुत्र भगवान सहाय माली किए जाने का निर्णय दिनांक 29.05.2015 को किया गया है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम मैड जमाबंदी संवत् 2070–2073 में नामान्तकरण संख्या 2258 दिनांक 29.05.2015 के द्वारा दुरुस्ती आदेश से गिरधारी पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर लादू पुत्र भगवान सहाय स्वीकार किया गया हैं। उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी लादूराम पुत्र भगवान सहाय का नाम काबिल दुरुस्ती है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि वाकै ग्राम पूरावाला के खाता संख्या 220 के हाल खसरा नंबर 241/0.39, 245/0.10, 248/0.22, 254/0.10, 256/0.22, 259/0.13, 396/0.12 हैक्टेयर, खाता संख्या 146 के खसरा नंबर 596/0.21 हैक्टेयर, खाता संख्या 42 के खसरा नंबर 240/0.08, 251/0.01, 252/0.21 हैक्टेयर की खातेदारी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र भगवान सहाय के स्थान पर लादूराम पुत्र भगवान सहाय सैनी दर्ज किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 04.03.2021 सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)